



मई/May 2, 2023

पृष्ठांकन/ENDORSEMENT

विषय : 25 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों के लिए सीएचएसएस सुविधाओं का विस्तार-निर्भरता मानदंड सुनिश्चित करने में गैर-एकरूपता और अतिरिक्त 1% अंशदान की वसूली के संबंध में।

Sub : Extending CHSS facilities to daughter beyond 25 years-Non-Uniformity in ascertaining dependency criteria and recovery of additional 1% contribution-reg.

उपरोक्त विषय पर परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 28.04.2023 के परिशिष्ट संख्या 7/14/2022/IR&W/Vol.II/5637 की एक प्रति सूचनार्थ एतद द्वारा अग्रेषित की जाती है।

A copy of DAE Office Memorandum No.7/14/2022/IR&W/Vol.II/5637 dated 28.04.2023 on the above mentioned subject is forwarded herewith for information and necessary compliance please.

Deeth 02/05/2023
(वी.एस.एन.वी.आर. कृष्ण कान्त/
V.S.N.V.R. Krishna Kanth)
कार्मिक अधिकारी (सीएचएसएस)/
sstt. Personnel Officer (CHSS)

संलग्न यथोपरि

Encl: As above.

वीईसीसी के सभी सीएचएसएस लाभार्थी - नोटिस बोर्ड और वीईसीसी वेबसाइट के माध्यम से।
All CHSS beneficiaries of VECC – through Notice Boards & VECC Website.

Copy to :-

1. निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
2. सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/
Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
3. वी.ई.सी.सी., कोलकाता स्थित प.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख/
Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata.
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Pay & Accounts Officer, VECC, Kolkata.

5. प्रशासनिक अधिकारी, आरआरएससी-ईस्ट, ईसरो, न्यू टाउन, कोलकाता-700163/Administrative Officer, RRSC-East, ISRO, New Town, Kolkata-700163.
6. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.
7. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
8. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.
9. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Stores Officer, CRSU, DPS, Kolkata.
10. सहायक लेखा अधिकारी, सी.आर.ए.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
11. प्रभारी अधिकारी, एएमडी, कोलकाता/Office-in-Charge, AMD, Kolkata.
12. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल (क्यूएस), कोलकाता/Office-in-Charge, NPCIL (QS), Kolkata.
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC, Staff Association.
14. सचिव, अणुशक्ति, डॉ.बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारी कल्याण संगठन, वीईसीसी /Secretary, Anushakti, Dr. B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association,VECC.



सत्यमेव जयते

(फ़ोन 022-22862703)

ई-मेल/e-mail: irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ओ. सं. एवं क. अनुभाग

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई
Mumbai - 400 001

सं.क्र. 7/14/2022/IR&W/Vol.II/ 5637

अप्रैल 28, 2023

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय 25 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों के लिए सीएचएसएस सुविधाओं का विस्तार -
Subject: निर्भरता मानदंड सुनिश्चित करने में गैर-एकरूपता और अतिरिक्त 1% अंशदान की
वसूली के संबंध में।
Extending CHSS facilities to daughters beyond 25 years - Non-Uniformity in ascertaining dependency criteria and recovery of additional 1% contribution - regarding.

विभाग ने दिनांक 15.01.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/6/2015/IR&W/781 के तहत सीएचएसएस सुविधाओं को आश्रित विधवा / तलाकशुदा / अलग हुई बेटियों को प्रदान किया है।

Department vide OM No.7/6/2015/IR&W/781 dated 15.01.2016 has extended CHSS facilities to dependent widowed/divorced/separated daughters.

2. 25 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों को सीएचएसएस सुविधा देने के संबंध में विभाग में आश्रय मानदंड सुनिश्चित करने में एकरूपता न होने तथा अतिरिक्त 1% अंशदान की वसूली के संबंध में राय मांगी गई है।

References have been received in the Department for extending CHSS facilities to daughters beyond 25 years regarding non-uniformity in ascertaining dependency criteria and recovery of additional 1% contribution.

3. सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर विभाग में सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, अब यह निर्णय लिया गया है कि सीएचएसएस की सुविधा 25 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियों (अविवाहित /अलग /विधवा /तलाकशुदा /परित्यक्त बेटियों सहित) को एक बार में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त 1% अंशदान के भुगतान पर दी जानी है।

After careful consideration in the Department, based on the recommendations of the CHSS Review Committee, it has now been decided that the CHSS facilities is to be extended to daughters beyond 25 years (includes unmarried/separated/widowed/divorced/ abandoned daughters) on payment of additional 1% contribution for maximum period of one year at a time

4. यह कार्यालय ज्ञापन इसे जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा।

This OM will be effective from the date of issue.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the Competent Authority.


(अजीता थरियन Ajitha Thariyan)

अवरसचिव (आईआरएंडडब्ल्यू) Under Secretary (IR&W)

सीएचएसएस के सभी प्रशासनिक प्राधिकारी/इकाई प्रमुख/इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख
All CHSS Administering Authorities /Head of Units/Administrative Heads of Units

प्रतिलिपि Copy to:

अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE

संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o JS(A&A). DAE

परमाणु ऊर्जा विभाग दर्पण

DAE Darpan